न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 07 / 2017

श्री मुकेश प्रजापत पुत्र श्री सत्यनारायण प्रजापत निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्री गौतमचंद पुत्र श्री देवराज चौपड़ा जाति जैन निवासी ग्राम कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मदन सिंह रावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 11.05.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील विजयनगर जिला अजमेर के राजस्व ग्राम नगर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.3112 हैक्टर भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री गौतमचन्द पुत्र श्री देवराज चौपड़ा जाति जैन निवासी ग्राम कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली द्वारा अपनी कृषि भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2015 से श्री मुकेश प्रजापत पुत्र श्री सत्यनारायण प्रजापत निवासी विजयनगर को विक्रय कर दिये जाने पर क्रेता द्वारा तहसीलदार विजयनगर के समक्ष क्रयशुद्वा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विधिवत जांच के क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 20.06.2016 से स्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2016 को रिव्यू आदेश कर पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 05.07.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2015 को समुचित प्रतिफल अदा कर विक्रेता से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आदिनांक तक अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया गया था, इस कारण उक्त आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गलत रूप से अपीलान्ट के हक में स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि विवादित भूमि बाबत् कोई रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 05.07.2016 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 20.06.2016 यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपील अपीलान्ट पुर्नविचार हेतु तहसीलदार विजयनगर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 20.06.2016 को स्वीकृत करने के पश्चात् दिनांक 05.07.2016 को पुनः रिव्यू आदेश पारित कर इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विवादित भूमि बाबत् अब्दुल रहमान के तहत रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिव्यू आदेश किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं माना जा सकता। चूंकि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2009 को ही निरस्त किया जाकर प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार विजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर रेफरेन्स प्रकरण संख्या 208/2007 सरकार बनाम सुगनचंद में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 11.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर